

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 14.08.2024 जनपद देवरिया ।

“ऑपरेशन कन्विकशन” के तहत देवरिया पुलिस की प्रभावी पैरवी से हत्या के प्रकरण में 05 अभियुक्तों को आजीवन कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया ।

“ऑपरेशन कन्विकशन” के तहत जनपदीय पुलिस की प्रभावी पैरवी से थाना खुखुन्दू पर पंजीकृत मु0अ0सं0 39/2023 धारा-147,148,302/34,323/34, 504,506 भादंवि में अभियुक्तगण क्रमशः 1.प्रदुम्न चतुर्वेदी उर्फ प्रदीप चतुर्वेदी पुत्र रमेशचन्द चतुर्वेदी, 2.रमेशचन्द चतुर्वेदी पुत्र स्व0 रामसकल चतुर्वेदी, 3.शिल्पी देवी पुत्री रमेशचन्द चतुर्वेदी, 4.आशीष उपाध्याय उर्फ अमित पुत्र संदीप उपाध्याय व 5.सूरज कुमार पुत्र शिवनाथ प्रसाद निवासीगण पिपरा मिश्र थाना खुखुन्दू जनपद देवरिया को मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर आज दिनांक 14.08.2024 को आजीवन कारावास व 5000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया । जिसमें अपर जिला शासकीय अधिवक्ता(क्रि0) श्री मनीष सिंह, कोर्ट मुहर्रिर का0 विनय सोनार, पैरवीकर का0 सुनील कुमार तथा मानिट्रिंग सेल प्रभारी चंद्रिका प्रसाद जैसल का सराहनीय योगदान रहा ।